

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(213) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई-जी/अभि./तक. अनु.समिति/2018-19 जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

- :: विडियो कॉन्फेसिंग सूचना :: -


अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में अधिशाषी अभियंता (अभि.)/ आवास प्रभारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त के साथ दिनांक 24.09.2019 को अपराह्न 4.00 बजे समिति कक्ष, उत्तर पश्चिम भवन से विडियो कॉन्फेसिंग आयोजित की जावेगी, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जावेगी-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति पर चर्चा
2. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की प्रगति पर चर्चा
3. निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र IWMS में सम्मिलित करने के क्रम में उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्णता प्रमाण पत्र में डिस्पेच नंबर व दिनांक दर्ज करने के प्रावधान पर चर्चा (विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक)

विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक में निम्न सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थित सादर प्रार्थनीय है-


1. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
2. अधीक्षण अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रो.), पंचायती राज।
4. संभाग स्तरीय अधिशाषी अभियंता (अभि.) वी.सी. के माध्यम से।

अतः विडियो कॉन्फेसिंग में अधिशाषी अभियंता (अभि.)/आवास प्रभारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त नियत तिथि व समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
6. जिला कलेक्टर, जिला समस्त
7. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक व्यवस्थार्थ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग।
11. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो), पंचायती राज।
12. अधिशाषी अभियंता (अभि.)/आवास प्रभारी जिला परिषद, समस्त।
13. श्रीपाल यादव, प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, को निर्धारित समय पर वी.सी. के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत।
14. प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)